

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ग) 1986 (एसीपी.-III) अलेसे-I/

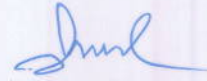
4817

दिनांक:- 03/6/2015

विषय:- तृतीय एसीपी स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I जिनकी एसीपी निकट भविष्य में देय हो रही है। एसीपी स्वीकृति हेतु कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें। जिसके साथ द्वितीय चयनित वेतनमान/ एसीपी आदेश की छाया प्रति भी संलग्न करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे की निदेशालय में उनके गत नौ वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में से कम से कम सात वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध हैं, तथा सम्पत्ति की सूचना निदेशालय में प्रेषित कर दी गई है।

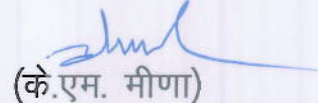
संलग्न - उपरोक्तानुसार।



(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)

प्रतिलिपि:- उपनिदेशक (एसीपी) निदेशालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।



(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) वित्त/नियम/2008-I&II दिनांक 31.12.09 के तहत संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान सम्बन्धी शपथ पत्र

मे पद कार्यालय एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या थी:-

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

2. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

या

दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या है।

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

हस्ताक्षर मेरे सम्मुख किये गये

वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष
हस्ताक्षर मय मोहर

हस्ताक्षर

नाम

पद

मैरिट संख्या / लिंक नं.

वर्तमान विभाग

सन्तोषजनक सेवा आदि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पद मैरिट संख्या ने उक्त घोषणा पत्र मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं तथा सेवा पुस्तिका एवं उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री ने कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति होने पर दिनांक को पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यग्रहण किया तथा इनको प्रथम/द्वितीय/तृतीय ए.सी.पी. दिनांक को देय हो गया है तथा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं 31.12.2009 के परिपत्र को ध्यान में रखते हुये यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- इनके विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जाँच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है तथा पूर्व में इन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया है। (यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जावे)
- सेवा पुस्तिका के अनुसार इन्हें ए.सी.पी. देय तिथि से पिछले सात वर्षों से नियमित रूप से वेतन वृद्धियाँ मिल रही हैं तथा इनकी सेवाये संतोषजनक हैं।
- इन्होंने प्रथम पदोन्नति पद पर दिनांक को, द्वितीय पदोन्नति पद पर दिनांक को, तथा तृतीय पदोन्नति पद पर दिनांक को मिली है।
- इनको पदोन्नति प्रथम/द्वितीय/तृतीय ही मिली है।

- इन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय पदोन्नति पर को दिनांक को फोरगो किया है।
- इन्होंने पदोन्नति फोरगो नहीं की है।
- ये पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में वेतन श्रृंखला में पे बैंड में दिनांक से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। (प्रति संलग्न करें)

- इनकी सेवा पुस्तिका के आधार पर जन्मतिथि है।
- 20 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात् नियुक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) नियम 7 (30 A) ने यदि 90 दिन से अधिक की E.O.L. ली है तो E.O.L. की अवधि दिनांक से तक है।

- कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व समान वेतन श्रृंखला में अन्य सरकारी विभाग में की गई सेवा (यदि कोई हो) का विवरण मय सेवा पुस्तिका की संतुष्टिपत्र प्रति के (स्पष्टीकरण दिनांक 31.12.2009 II (iii))।

- इन्हें प्रथम चयनित वेतनमान निदेशालय के आदेश संख्या द्वारा दिनांक से स्वीकृत एवं द्वितीय चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी. निदेशालय के आदेश संख्या द्वारा दिनांक से स्वीकृत की जा चुकी है। (आदेश संलग्न करें)

वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष
हस्ताक्षर मय मोहर